न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठसीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 115/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-2025/352

वादीगण

1.दलपतसिंह पुत्र गुलाबसिंह
जाति राजपूत निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
2.तीजोदेवी पत्नि जोगाराम
जाति प्रजापत
3.सोमतीदेवी पत्नि देवाराम
जाति प्रजापत निवासी मांजीवाला
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1.चन्द्रकंवर पत्नि भौतानसिंह
2.छेटूसिंह पुत्र हरीसिंह
3.धनसिंह पुत्र केसरसिंह
4.नरपतसिह पुत्र भौतानसिंह
5.पूर्णसिंह पुत्र कानसिंह
6.प्रतापसिंह पुत्र भौतानसिंह
जाति राजपूत निवासी राजपूतो का वास,असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीगण
2.श्री विरेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2 व 4 से 6
3.प्रतिवादी संख्या 03 एकतरफा
4.प्रतिवादी संख्या 07 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक- 30/03/2026

संक्षिप्त मे वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद ग्राम पोशालनगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2499/631,630,632,633 व 637 कुल क्षेत्रफल 17.3287 हैक्टयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 11.11.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादीगण व प्रतिवादी अधिवक्ता बंटवाड़ा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करवाने पर सहमत है,तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रुप से स्वीकार किया जाकर सरहद ग्राम पोशालनगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2499/631,630,632,633 व 637 कुल क्षेत्रफल 17.3287 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1	तीजोदेवी पत्नि जोगाराम हि. 1/2,सोमतीदेवी पत्नि देवाराम हि.1/2 जाति प्रजापत सा. माझीवाला खातेदार	पोशाल नगर	637	4.7753	बा.सो.	नक्शे में दर्शितानुसार
2	चन्द्रकंवर पत्नि शैतानसिंह हि.3880/31020 छोटूसिंह पुत्र हरिसिंह 7750/31020, धनसिंह पुत्र केसरसिंह हि. 7750/31020, नरपतसिंह पुत्र शैतानसिंह हि. 3880/31020, पूर्णसिंह पुत्र कानसिंह हि. 3880/31020,प्रतापसिंह पुत्र शैतानसिंह हि.3880/31020, जाति राजपूत सा.देह खातेदार रहन-पूर्णसिंह का हिस्सा आर. एम.जी.बी.शाखा असाड़ा के पक्ष में	पोशाल नगर	2499/631 630 632 633	3.4318 3.0432 4.0307 2.0477	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	नक्शे में दर्शितानुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

30/03/2026

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30.3.2026 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

30/03/2026

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 115/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/352

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1.दलपतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.तीजोदेवी पत्नि जोगाराम जाति प्रजापत 3.सोमतीदेवी पत्नि देवाराम जाति प्रजापत निवासी मांजीवाला तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.चन्द्रकंवर पत्नि शैतानसिंह 2.छोटूसिंह पुत्र हरीसिंह 3.धनसिंह पुत्र केसरसिंह 4.नरपतसिह पुत्र शैतानसिंह 5.पूर्णसिंह पुत्र कानसिंह 6.प्रतापसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतो का वास,असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :115/2025
निर्णय दिनांक :— 30.3.2026

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 व 4 से 6 की ओर से श्री विरेन्द्रसिंह अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 03 एकतरफा एवं प्रतिवादी संख्या 7 की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.3.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 30.3.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.3.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

30/3/2026

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	———	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	———	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा